सं0-204/xxviii (3)2005-186/2003

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भौरी जनपद रूद्रप्रयाग के अवशेष भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7य /1/एस0ए0डी0/27/2003/ 1669 दिनांक 28.01.2005 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 1677/चि0-3-2003-186/2003 दिनांक 12.2.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भौरी जनपद रूद्रप्रयाग के अवशेष भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु संलग्नानुसार रू0 26,11,000=00 (रू0 छब्बीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

2- प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य को अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा।

3- उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबन्धक डी0 पी0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन आदेश प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा । अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी ।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित इस युक्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

7- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- धनराशि का आहरण व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

9 उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -110 अस्पताल तथा औषधालय-91-जिला योजना 01-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा तथा संलग्न पुर्ननियोजन प्रपत्र बी0एन0 15 के अनुसार लेखा शीर्ष 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन किया जावेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 1852/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक: 20.3.05 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0-704/xxviii (3)2005-186/2003 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6- अपर परियोजना प्रबंधक, डी0पी0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- वित्त अनुभाग-2
9- गार्ड फाईल ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0-204/xxviii (3)2005-156/2003 30-3-05 दिनांक का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	उपकेन्द्रों का नाम	जनपद का नाम	लागत	अबतक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भीरी का भवन निर्माण।	रूद्रप्रयाग	42.11	16.00	26.11
		योग	42.11	16.00	26.11

(रु0 छब्बीस लाख ग्यारह हजार मात्र)

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)

संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 204/xxviii(3)-2004-186/2003 सं0एम0 दिनांक का संलग्नक।

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (वित्तीय वर्ष 2004-05)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24- वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -110 अस्पताल तथा औषधालय, 91- जिला योजना, 01, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण, 24- वृहत निर्माण कार्य			क. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण में आवश्यकता से अधिक धनराशि की बचत है। ख. राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का (चालू योजना) के अंतर्गत कम बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।
30000	-	5000	25000	246	35111	29754	
योग 30000	-	5000	25000	246	35111	29754	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 मे उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 1852 (A) वित्त अनु0-2/05
देहरादून : दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
नागरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

संख्या 204/xxviii(3)-2004-186/2003 सी0एम0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव